

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील नम्बर 183/2017

05.05.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री पी एस शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को रजिस्ट्री द्वारा इंगित की गई त्रुटियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। यदि अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि में इंगित की गई त्रुटियां दूर नहीं की जाती हैं तो यह अपील इस न्यायालय को संदर्भित किये बिना स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)

बीएलजेन / 16